उत्तर प्रदेश सरकार
आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–5
संख्या 3850/ आठ–5–11–10ई/11
लखनऊ : दिनांक 11 नवम्बर ,2011

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश राष्ट्रपति अधिनियम (परिष्कारों सहित पुनः अधिनियमन) अधिनियम, 1974 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 30 सन् 1974) द्वारा परिष्कारों सहित यथा पुनः अधिनियमित उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 (राष्ट्रपति अधिनियम संख्या 11 सन् 1973) की धारा 5–क की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 55 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के सदस्यों की सेवानिवृत्ति लाभों के सम्बन्ध में निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं।

उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011

संक्षिप्त नाम, प्रारंभ और लागू होना

1. (1) यह नियमावली उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा सेवानिवृत्ति लाभ नियमावली, 2011 कही जायेगी।

(2) यह तात्कालिक प्रभाव से लागू होगी।

(3) यह उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा के उन सभी संदस्यों जो इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक को या उसके पश्चात सेवानिवृत्त होंगे, पर लागू होगी :

परन्तु यह कि राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो इस नियमावली के प्रारंभ होने के दिनांक से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हो, इस नियमावली के अधीन इस आशय के कार्यकारी आदेश द्वारा आच्छादित कर सकती है :

परन्तु यह और कि यह नियमावली दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात नियुक्त सेवा के सदस्यों पर लागू नहीं होगी।

(4) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात नियुक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों को यथा अनुमन्य नव परिभाषित अंशदायी पेंशन प्रणाली सेवा के ऐसे सदस्यों पर, जो दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को या उसके पश्चात नियुक्त हुए हों, यथा आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

परिभाषायें

2. जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में,–

(क) "अधिनियम" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 से है ;

(ख) "औसत वेतन" का तात्पर्य उस दिनांक के जब सेवा

के सदस्य को सेवा निवृत्त होना हो, ठीक पूर्ववर्ती पिछले दस महीने के दौरान उसको देय वेतन के मासिक औसत से है :

परन्तु यह कि,–

(एक) यदि, सेवा के अन्तिम दस मास के दौरान कोई सेवा का सदस्य बिना वेतन की छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो, या ऐसी परिस्थितियों में निलम्बित किया गया हो कि निलम्बन की अवधि की गणना सेवा के रूप में न की जाय तो इस प्रकार व्यतीत की गयी अवधि की गणना नहीं की जायेगी और अंतिम दस मास के ठीक पूर्व की उतनी ही अवधि को सम्मिलित किया जायेगा ; और

(दो) यदि सेवा के अन्तिम दस मास के दौरान कोई सेवा का सदस्य वेतन सहित छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो या निलम्बित किये जाने पर, सेवा का समपहरंण किये बिना सेवा में बहाल किया गया हो तो औसत का अभिनिश्चय करने के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी परिलब्धियों की गणना की जायेगी जो उस दशा में होती यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थित न रहा होता या निलम्बित न किया गया होता।

स्पष्टीकरण :–उक्त परन्तुक के खण्ड (एक) में पद "वेतन" के अन्तर्गत वेतन और समस्त ऐसे भत्ते सम्मिलित हैं जो सेवा के किसी सदस्य को अनुमन्य हों।

(ग) "केन्द्रीयित सेवा" का तात्पर्य अधिनियम की धारा 5–क के अधीन विकास प्राधिकरण के लिए सृजित सामान्य सेवा से है ;

(घ) "परिलब्धि" का तात्पर्य फाइनेंशियल हैण्ड बुक, खण्ड दो, भाग दो से चार के फण्डामेंटल रूल 9 (21) में यथा परिभाषित वेतन से है ;

टिप्पणी :–यदि सेवा का कोई सदस्य अपनी सेवा–निवृत्ति या मृत्यु के ठीक पूर्व वेतन सहित छुट्टी पर ड्यूटी से अनुपस्थित रहा हो तो सेवा उपदान और/या मृत्यु एवं सेवा–निवृत्ति उपदान की गणना करने के प्रयोजनार्थ उसकी ऐसी परिलब्धियों की गणना की जायेगी जो उस दशा में हो तो यदि वह ड्यूटी से अनुपस्थित न होता :

परन्तु यह कि उपदान की धनराशि वेतन में वृद्धि के कारण जिसका आहरण वास्तव में न किया गया हो, बढ़ न जाय और यह कि उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी वेतन का लाभ तभी दिया जाय जब यह प्रमाणित हो कि वह उच्चतर स्थानापन्न या अस्थायी पद धारण किये होता यदि वह छुट्टी पर न गया होता।

(ड.) "परिवार" का तात्पर्य पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के लिए अर्ह सेवा के किसी सदस्य के निम्नलिखित सम्बन्धियों से है :–

(एक) यथास्थिति पत्नी/पति,
(दो) पचीस वर्ष की आयु से कम या सेवायोजन के दिनांक को, जो भी पहले हो, अविवाहित और बेरोजगार पुत्र/पुत्रियां (विधवा पुत्रियों सहित),
(तीन) विवाह/पुनर्विवाह के दिनांक तक या सेवायोजन के दिनांक तक या मृत्यु के दिनांक तक, जो भी पहले हो, अविवाहित/विधवा/तलाकशुदा पुत्रियां,
(चार) माता–पिता जो सेवा के सदस्य पर उसके जीवनकाल में पूर्णतया आश्रित थे और और यदि मृत सदस्य की विधवा/मृत सदस्य का विधुर और/या बच्चे न हों।
(च) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र से है ;
(छ) "सेवा का सदस्य" का तात्पर्य तत्समय प्रवृत्त सुसंगत नियमावली के अधीन सेवा के संवर्ग में किसी पद के विरूद्ध आमेलित या उस पर नियुक्त व्यक्ति से है ;
(ज) "पेंशन–योग्य पद" का तात्पर्य ऐसे पद से है जिसके सम्बन्ध में निम्नलिखित तीन शर्तें पूरी करता हो, अर्थात–
(एक) पद उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवानियमावली, 1985 के किसी संवर्ग में हो ;
(दो) नियोजन मौलिक और स्थायी हो ; और
(तीन) सेवा कार्य के लिए भुगतान किसी प्राधिकरण द्वारा किया जाता हो।
(झ) "अर्हकारी सेवा" का तात्पर्य सेवा के किसी सदस्य की ऐसी सेवा से है जो निम्नलिखित शर्तों को पूरी करता हो :–
(एक) सेवा किसी प्राधिकरण के अधीन अवश्य हो,
(दो) नियोजन मौलिक/नियमित/स्थायी अवश्य हो,
(तीन) सेवा का भुगतान किसी प्राधिकरण द्वारा अवश्य किया जाता हो,
(चार) किसी प्राधिकरण के अधीन गैर पेंशनयोग्य अधिष्ठान में अस्थायी या स्थानापन्न सेवा को छोड़कर सेवा की अवधि,
(पांच) किसी कार्य प्रभारित अधिष्ठान में सेवा की अवधि और,
(छह) आकस्मिक व्यय से भुगतान किये जाने वाले पद में सेवा की अवधि :

परन्तु यह कि सेवा के किसी सदस्य की सेवा क्षति पूर्ति उपदान के सिवाय पेंशन और उपदान के लिए तब तक अर्ह नहीं होगी जब तक कि उसने बीस वर्ष की सेवा पूरी न कर ली हो :

परन्तु, यह और कि किसी सुधारन्यास, प्राधिकरण, पालिका, बोर्ड, निगम, केन्द्र या राज्यसरकार के अधीन निरन्तर अस्थायी या स्थानापन्न सेवा की अवधि की गणना

अर्हकारी सेवा के रूप में की जायेगी यदि उसी या किसी अन्य पद पर सेवा के किसी व्यवधान के बिना बाद में उसे स्थायी कर दिया जाय।

टिप्पणी :—यदि किसी पेंशन रहित अधिष्ठान, कार्य प्रभारित अधिष्ठान में या आकस्मिकता व्यय से भुगतान किये जाने वाले किसी पद पर की गयी सेवा किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में अस्थायी सेवा की दो अवधि के बीच या किसी पेंशनयुक्त अधिष्ठान में अस्थायी सेवा और स्थायी सेवा की अवधि के बीच में पड़ती हो तो वह सेवा का व्यवधान नहीं होगी।

(ञ) "सेवानिवृत्ति" का तात्पर्य किसी सेवा के सदस्य के केन्द्रीयित सेवा से अधिवर्षिता पर, या लोकहित में स्वेच्छा से या अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त होने पर या स्थायी पद या स्थायी नियुक्ति की समाप्ति पर, यदि सेवा के सदस्य की नियुक्ति किसी अन्य पद पर न की जाय या उसे उसके पूर्ववर्ती मौलिक पद पर, यदि कोई हो प्रत्यावर्तित करना सम्भव न हो, सेवामुक्त होने से है ;

टिप्पणी :— सेवा से स्वेच्छया सेवानिवृत्ति का तात्पर्य उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम–34 में विनिदिष्ट आयु प्राप्त करने के पश्चात् सेवानिवृत्ति से है ;

(ट) "सेवा–निवृत्ति पेंशन" का तात्पर्य ऐसी पेंशन से है जो ऐसे सेवा के सदस्य को स्वीकृत की जाय, जिसे अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवा–निवृत्त होने की अनुज्ञा दी जाय और इसके अन्तर्गत ऐसी पेंशन भी है जो ऐसे सेवा के सदस्य को स्वीकृति की जाय जिससे अधिवर्षता की आयु प्राप्त करने के पूर्व सेवानिवृत्त होने की अपेक्षा की जाय ;

(ठ) "सेवा" का तात्पर्य अधिनियम के अधीन सृजित उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा से है।

(ड) " अधिवर्षता पेंशन" का तात्पर्य किसी ऐसे सेवा के सदस्य को स्वीकृत पेंशन से है जो उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 1985 के नियम 34 के अधीन निर्धारित विशिष्ट आयु प्राप्त होने पर या उपर्युक्त नियमावली के नियम 34 के अधीन स्वीकृत सेवा में विस्तार की अवधि समाप्त होने पर सेवानिवृत्त होने का हकदार हो।

विकल्प और अंशदान (धारा 20)

3. (1) सेवा के सदस्यों द्वारा अपने विकल्प का प्रयोग इस नियमावली के प्रवर्तन से नब्बे दिन के भीतर किया जायेगा और एक बार किया गया विकल्प अन्तिम होगा।

(2) यदि, इस नियमावली का विकल्प करने वाले किसी सेवा के सदस्य ने अपने भविष्य निधि लेखे में जमा प्राधिकरण के अंशदान और बोनस की धनराशि का अन्तिम रूप से आहरण कर लिया हो तो उसे वह धनराशि इस

नियमावली के भाग छः के अधीन स्थापित पेंशन निधि में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा समय–समय पर निर्धारित दर पर ब्याज सहित जमा करनी होगी।

(3) यदि किसी प्राधिकरण ने इस नियमावली का विकल्प करने वाले सेवा के सदस्य की भविष्य निधि में बोनस और अपना अंशदान जमा न किया हो तो प्राधिकरण को उपर्युक्त पेंशन निधि में ऐसी धनराशि उसी दर पर जैसा उपनियम (2) में उल्लिखित है, ब्याज सहित जमा करनी होगी।

(4) इस नियमावली का विकल्प करने वाले सेवा के सदस्य को प्राधिकरण पेंशन निधि में पड़ी हुई धनराशि और ऐसी धनराशि भी जो ऐसे सेवा के सदस्य के उक्त विकल्प के दिनांक तक उक्त निधि में जमा की जानी हो, प्राधिकरण द्वारा इस नियमावली के भाग छः के अधीन स्थापित पेंशन निधि में जमा की जायेगी।

(5) सेवा के सदस्य के भविष्य निधि लेखे में जमा किए गये प्राधिकरण के अंशदान की धनराशि का प्राधिकरण द्वारा भविष्य निधि लेखे से आहरण किया जायगा और उसे उपर्युक्त पेंशन निधि में प्राधिकरण द्वारा जमा किया जायगा।

(6) यह नियमावली सेवा के किसी ऐसे सदस्य पर लागू नहीं होगी जो विहित समय सीमा के भीतर इसका विकल्प नहीं करता या जो ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर जो सम्बन्धित प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा दिया जाय, उपनियम (2) में उल्लिखित शर्तों को पूरा नहीं करता।

(7) इस नियमावली द्वारा शासित सेवा के सदस्य उन पर इस नियमावली लागू होने के दिनांक से, प्राधिकरण द्वारा उनकी भविष्य निधि में देय बोनस और अंशदान के लाभ से वंचित हो जायगे।

भाग–1
पेंशन और उपादान

(धारा 24) 4. पेंशन और उपादान की गणना–(1) अधिवर्षिता, सेवा–निवृत्ति, अक्षम और प्रतिकर पेंशन या उपदान की धनराशि उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार संगणित समुचित धनराशि होगी।

परन्तु यह कि सभी समुचित सावधानी के बाद भी पेंशन भुगतान आदेश और उपादान भुगतान आदेश जारी करने में विलम्ब की संभावना हो तो संबंधित प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अंतरिम पेंशन और अंतरिम उपादान स्वीकृत करेगा जिसको अंतिम पेंशन और अंतिम उपादान से समायोजित किया

जायगा :

परन्तु यह और कि यदि सेवा के सेवानिवृत्त सदस्य के नियंत्रण से परे के कारणों से उपादान देय होने के दिनांक से तीन माह से अधिक का विलम्ब होता है तो समय समय पर सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए विनिर्दिष्ट दर पर तीन माह के बाद वास्तविक भुगतान के दिनांक तक उपादान की धनराशि पर ब्याज देय हो जायेगा।

(2) कोई विशेष अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत नहीं की जाएगी।

(3) पद "अक्षम और प्रतिकर पेंशन" का वही अर्थ होगा जो सिविल सर्विस रेगुलेशन्स में सरकार के कर्मचारियों के संबंध में उसके लिए दिया गया है।

भाग–दो
मृत्यु और सेवा निवृत्ति उपदान

(धारा 55) 5. मृत्यु और सेवानिवृत्ति उपदान–(1) किसी सेवा के सदस्य को सेवा निवृत्त होने पर उपदान दिया जायगा, जिसकी गणना सरकारी कर्मचारियों पर ऐसी सीमा के अधीन रहते हुए राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू प्रक्रिया और सूत्र के अनुसार की जाएगी।

(2) मृत्यु उपदान–अधिवर्षिता से पूर्व सेवा के किसी सदस्य की मृत्यु होने पर उपादान की धनराशि की गणना निम्नानुसार की जायेगी,–

सेवा की अवधि	उपदान की दर
(क) एक वर्ष से कम	परिलब्धियों का दो गुना
(ख) एक वर्ष या अधिक परन्तु पांच वर्ष से कम	परिलब्धियों का छह गुना
(ग) पांच वर्ष या अधिक परन्तु बीस वर्ष से कम	परिलब्धियों का बारह गुना
(घ) बीस वर्ष या अधिक	अंतिम परिलब्धि के अधिकतम 16.5 माह की सीमा के अधीन अर्हकारी सेवा के पूर्ण छमाही के बराबर परिलब्धियों का एक चौथाई या रूपये दस लाख जो भी कम हो।

(3) उपनियम (2) के अनुसार अनुमन्य उपदान की धनराशि किसी भी स्थिति में सरकारी सेवकों को अनुमन्य धनराशि से अधिक नहीं होगी।

(धारा 42) 6. नामनिर्देशन (1) प्रत्येक सेवा के सदस्य जैसे ही वह इस नियमावली का विकल्प करे या जैसे ही यह नियमावली उस

पर लागू हो जाय, नामनिर्देशन करेगा जिसमें एक या अधिक व्यक्तियों को कोई ऐसा उपदान जो नियम 5 के उपनियम (2) या उपनियम (3) के अधीन स्वीकृत किया जाय और ऐसा उपदान जिसका नियम (5) के उपनियम (1) के अधीन उसे अनुमन्य हो जाने के पश्चात् उसकी मृत्यु के पूर्व भुगतान न किया गया हो, प्राप्त करने का अधिकार प्रदान किया गया हो :

परन्तु यह कि यदि नामनिर्देशन करते समय सेवा के सदस्य का परिवार हो, तो नामनिर्देशन उसके परिवार के किसी एक या अधिक सदस्यों से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में नहीं किया जायगा।

टिप्पणी– सेवा के सदस्य द्वारा नामनिर्देशन या नामनिर्देशन में कोई परिवर्तन सम्बन्धित उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण के अनुमोदन से अपने सेवाकाल में या सेवानिवृत्ति के पश्चात् किया जा सकता है।

(2) यदि कोई सेवा के सदस्य उपर्युक्त उपनियम (1) के अधीन एक से अधिक व्यक्ति का नामनिर्देशन करें, तो वह नाम–निर्देशन पत्र में प्रत्येक नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को देय धनराशि या अंश ऐसी रीति से विनिर्दिष्ट करेगा जिससे कि उसके अंतर्गत उपदान की सम्पूर्ण धनराशि आ जाय।

(3) सेवा का कोई सदस्य नामनिर्देशन में यह व्यवस्था कर सकता है कि–

(क) किसी नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की सेवा के सदस्य के पूर्व मृत्यु हो जाने पर उस नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को प्रदत्त अधिकार नामनिर्दिष्ट ऐसे अन्य व्यक्ति को अन्तरित हो जायगा जिसे नामनिर्देशन–पत्र में विनिर्दिष्ट किया जाय :

परन्तु यह कि यदि नामनिर्देशन करते समय सेवा के सदस्य के परिवार में एक से अधिक सदस्य हों तो इस प्रकार विनिर्दिष्ट व्यक्ति उसके परिवार के सदस्य से भिन्न व्यक्ति न होगा ;

(ख) नामनिर्दिष्ट व्यक्ति का नामनिर्देशन उसमें विनिर्दिष्ट आकस्मिक घटना होने की दशा में अविधिमान्य हो जायगा।

(4) किसी ऐसे सेवा के सदस्य द्वारा जिसका नामनिर्देशन करते समय परिवार न हो, किया गया नामनिर्देशन या किसी ऐसे सेवा के सदस्य द्वारा ; जिसके परिवार में नामनिर्देशन करने के दिनांक को केवल एक सदस्य हो, उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्देशन में की गई व्यवस्था उस दशा में अविधि मान्य हो जायगी जब बाद में सेवा के सदस्य का यथास्थिति परिवार हो जाय या उसके परिवार में कोई अतिरिक्त सदस्य हो जाय।

(5)(क) प्रत्येक नामनिर्देशन (क) से (ड.) तक के किसी एक ऐसे प्रपत्र में होगा जो उस मामले की परिस्थिति के अनुसार उपयुक्त हो ;

(ख) सेवा का कोई सदस्य किसी भी समय नीचे उपनियम (7) में उल्लिखित समुचित प्राधिकारी को लिखित नोटिस भेजकर नाम निर्देशन रद्द कर सकता है परन्तु यह कि सेवा के सदस्य ऐसी नोटिस के साथ इस नियमावली के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भेजेगा।

(6) किसी ऐसे नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की जिसके सम्बन्ध में उपनियम (3) के खण्ड (क) के अधीन नामनिर्देशन में किसी दूसरे व्यक्ति को उसका अधिकार अन्तरित हो जाने के सम्बन्ध में कोई व्यवस्था न की गई हो, मृत्यु हो जाने पर तुरन्त ही या किसी ऐसी घटना के हो जाने पर जिसके कारण नामनिर्देशन उपनियम (3) के खण्ड (ख) या उपनियम (4) के अनुसारण में अविधि मान्य हो जाय, सेवा के सदस्य समुचित प्राधिकारी को औपचारिक रूप से नामनिर्देशन रद्द करने की लिखित नोटिस के साथ इस नियमावली के अनुसार किया गया नया नामनिर्देशन भी भेजेगा।

(7) सेवा के किसी सदस्य द्वारा दिया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और रद्द करने की प्रत्येक नोटिस उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को भेजी जायेगी जो उसमें प्राप्ति का दिनांक इंगित करते हुए उस समय प्रतिहस्ताक्षर करेगा और उसे अपनी अभिरक्षा में रखेगा।

(8) सेवा के किसी सदस्य द्वारा किया गया प्रत्येक नामनिर्देशन और रद्द किये जाने के लिए दी गई प्रत्येक नोटिस, जहां तक कि वह विधिमान्य हो, उपनियम (7) में उल्लिखित प्राधिकारी को प्राप्त होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

(9) यदि किसी सेवा के सदस्य को, जिसका कोई परिवार हो, ऐसा नामनिर्देशन किए बिना जिसमें उसके परिवार के एक या अधिक सदस्यों की मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की धनराशि प्राप्त करने का अधिकार प्रदत्त किया गया हो, मृत्यु हो जाय तो वह उसके परिवार के उन जीवित सदस्यों को बराबर–बराबर अंशों में निम्नलिखित रीति से दिया जायगा :

(क) यदि परिवार में नीचे दी गयी सूची में एक से अधिक जीवित सदस्य हैं तो उपदान की धनराशि उनमें बराबर–बराबर वितरित कर दी जायेगी :–

(एक) पत्नी/पति,

(दो) पुत्र (सौतेले पुत्र और दत्तक पुत्र सहित),

(तीन) पुत्रियां (सौतेली पुत्रियां और दत्तक पुत्रियों सहित)

(ख) यदि ऊपर दी गयी सूची से कोई सदस्य जीवित नहीं है और नीचे दी गयी सूची का एक से अधिक संबंधी है तो उपदान की धनराशि उनमें बराबर बराबर वितरित की जायेगी :–

(एक) विधवा पुत्रियां
(दो) 18 वर्ष से कम आयु के भाई और अविवाहित और विधवा बहनें (सौतेले भाई और बहिनों सहित)
(तीन) पिता
(चार) माता
(पांच) विवाहित पुत्रियां (सौतेली पुत्रियों सहित)
(छह) पूर्व में मृत पुत्र के बच्चे :

परन्तु यह कि यदि सेवा के किसी सदस्य का कोई परिवार नहीं है और नाम निर्देशन किये बिना उसकी मृत्यु हो जाती है तो उपदान समयहृत हो जायेगा।

भाग—तीन
पारिवारिक पेंशन

(धारा 24) 7. पारिवारिक पेंशन— सेवा के किसी सदस्य के परिवार को पारिवारिक पेंशन उत्तर प्रदेश राज्य के कार्यकलापों के सम्बन्ध में सेवारत सरकारी सेवकों पर लागू सुसंगत नियमों द्वारा विनियमित होगी। पारिवारिक पेंशन के लिए प्रपत्र च में आवेदन किया जायेगा।

भाग—चार
राशिकरण

(धारा 24) 8. राशिकरण—पेंशन के राशिकरण की सुविधा उत्तर प्रदेश सिविल पेंशन (कम्युटेशन) रूल्स के अनुसार पेंशन के राशिकरण की सुविधा उपलब्ध होगी परन्तु पेंशन की धनराशि का अधिक्तम, जिसे राशिकृत किया जाएगा, इस नियमावली के भाग'—एक के अधीन अनुमन्य पेंशन की एक तिहाई तक होगी :

परन्तु राशिकरण के पश्चात् वस्तुतः देय पेंशन सिविल सर्विस रेगुलेशन्स के अनुच्छेद 474 और 474—ए के अधीन अनुमन्य पेंशन से आधा से किसी भी दशा में कम नहीं होगी।

भाग—पांच
प्रकीर्ण

9. उपदान या पेंशन से वसूली— उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को सम्बद्ध सेवा के सदस्य द्वारा प्राधिकरण को वैध रूप से देय धनराशि की उसे स्वीकृत उपदान या पेंशन से वसूल करने का अधिकार होगा।

10. कतिपय मामलों में उपदान/पारिवारिक पेंशन स्वीकृत नहीं की जायेगी—यदि सेवा के सदस्य को आपराधिक अवचार के

कारण दण्ड दिया गया हो या अवचार दिवालिया होने या गबन करने के कारण सेवा से पदच्युत किया गया हो या हटाया गया हो तो उसे सामान्यतः कोई उपदान या पारिवारिक पेंशन नहीं दी जायेगी,

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी को अधिकार होगा कि यदि पेंशनर पर गंभीर अपरांध का दोष सिद्ध होता है तो पेंशन या उसके किसी भाग को रोक ले या वापस ले ले।

(धारा 20, 24, 51) 11. पेंशन सम्बन्धी अंशदान–(1)विकास प्राधिकरणवार अंश का निर्धारण शासन स्तर से किया जाएगा, जिसमें 50 प्रतिशत वेटेज केन्द्रीयित सेवाओं के स्वीकृत पदों की संख्या को तथा अवशेष 50 प्रतिशत विकास प्राधिकरण के इनकम पोटेंशियल को दिया जायेगा। प्राधिकरण अंश का रिव्यू शासन द्वारा समय–समय पर किया जायेगा।

(2) किसी वित्तीय वर्ष में पेंशन भुगतान के लिए आवश्यक धनराशि का आंकलन वित्तीय वर्ष पूरा होने के तीन माह पूर्व कर लिया जायेगा और समस्त विकास प्राधिकरण को शासन द्वारा वार्षिक आंकलित धनराशि के निर्धारित अंश के भुगतान के निर्देश निर्गत किये जायेंगे।

(3) वर्तमान में विकास प्राधिकरण के स्तर पर जो फण्ड उपलब्ध है, उसमें से विकास प्राधिकरण अंश को सम्बन्धित विकास प्राधिकरण 'उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा पेंशन निधि' में अपने अंश के रूप में स्थानान्तरित करेगा और कार्मिक से सम्बन्धित अंश को इस नियमावली के लागू होने पर उन्हें पी0एफ0 की भांति वापस कर दिया जायेगा। अंशदायी भविष्य निधि योजना समाप्त हो जायेगी।

(धारा 20) 12 पेंशन सम्बन्धी अंशदान का लेखा–नियम 11 में उल्लिखित अंशदान का लेखा उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण तथा वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के द्वारा रखा जायेगा तथा उससे किए गये विनियोजन का लेखा वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के निर्देशों के अनुसार रखा और तैयार किया जायगा।

(धारा 42) 13. (1) सेवानिवृत्त होने वाले सेवा के सदस्यों के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही–(1) प्राधिकरण के विभागाध्यक्ष या जहां कोई विभागाध्यक्ष न हो, वहां ऐसे कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक जिन्हें अधिष्ठान का कार्य सौंपा गया हो, 1 जनवरी और 1 जुलाई को केन्द्रीयित सेवा के ऐसे समस्त सेवा के सदस्य की जो आगामी दो वर्ष में सेवा निवृत्त होने वाले हों, छमाही सूची तैयार करेंगे और इस सूची को प्रति वर्ष 31 जनवरी और 31 जुलाई को विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को भेजेंगे। यथास्थिति, विभागाध्यक्ष या कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक, अधिकारी के सेवा–निवृत्त होने के

दिनांक से डेढ़ वर्ष पूर्व यह भी सुनिश्चित करेंगे कि सम्बद्ध सेवा के सदस्य से उसके सेवा निवृत्त होने के दिनांक तक कोई देय वसूल किए बिना न रह जाय। विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष प्रति वर्ष 15 फरवरी और 15 अगस्त तक इस सूची की एक प्रति वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजेंगे।

(2) सेवा के प्रत्येक सदस्य की सेवा–निवृत्ति के दिनांक के एक वर्ष पूर्व यथास्थिति विभागाध्यक्ष या कार्यालय अधीक्षक/प्रधान लिपिक प्रपत्र "छ" में उसके आवेदन–पत्र को उसकी पेंशन और उपदान से सम्बन्धित अन्य अभिलेखों को पूरा करेंगे और उन्हें प्राधिकरण के मुख्य लेखाधिकारी को भेजेंगे जो पेंशन और उपदान की धनराशि की जांच करने के पश्चात् उसे विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा, जो पेंशन और उपदान के पत्रादि की संवीक्षा करेगा। इन पत्रादि की संवीक्षा उसी रीति से की जायेगी जिस रीति से अधिनियम के अधीन प्राधिकरण निधि के दावों की परीक्षा की जाती है। उपाध्यक्ष इन पत्रादि की प्रति सेवा के सदस्य की सेवा निवृत्ति के दिनांक के छः माह पूर्व वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को उपलब्ध करायेंगे।

(3) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण पेंशन और/या उपादान स्वीकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा। यदि सेवा के सदस्य का सेवा अभिलेख संतोषप्रद न हो तो उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण को पेंशन और/या उपदान में कटौती करने का अधिकार होगा। उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण यह समाधान करेगा कि सेवानिवृत्त होने वाले सेवा के सदस्य की सेवा संतोषप्रद रही है और इस नियमावली के अधीन देय पूर्ण पेंशन और/या उपदान स्वीकृत करेगा और यदि सेवा संतोषजनक न रही हो तो वह यह सिफारिश करेगा और सुनिश्चित करेगा कि पेंशन और/या उपदान में कोई कटौती की जाय या नहीं और उपाध्यक्ष इस सम्बन्ध में अपना समाधान करने के उद्देश्य से सम्बद्ध सेवा के सदस्य को स्पष्टीकरण देने का अवसर देगा।

(4) पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपादान/मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान के गलत निर्धारण के कारण अतिरिक्त भुगतान को वापस किया जायेगा और इसे बाध्यकर बनाने के लिए सेवानिवृत्त होने वाले प्रत्येक अधिकारी से यथास्थिति, प्रपत्र "ज" या "झ" में पहले से ही घोषणा करा ली जाएगी।

(5) सम्बद्ध सेवा के सदस्य द्वारा प्रपत्र "घ" में पेंशन की स्वीकृति के लिए आवेदन–पत्र उचित माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा और सेवा के सदस्य की मृत्यु होने की दशा में, उपदान/पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति के लिए

आवेदन–पत्र दावेदार द्वारा विहित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायगा।

(6) उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत की गयी पेंशन की संवीक्षा राज्य सरकार द्वारा की जायेगी।

(धारा 41, 42) 14. राज्य सरकार के सेवकों के लिए बने प्रपत्रों का उपयोग–यदि इस नियमावली के अधीन विहित प्रपत्र पेंशन के मामलों के निस्तारण के लिए अपर्याप्त हों तो राज्य सरकार के सेवकों की पेंशन स्वीकृत करने के लिए विहित प्रपत्रों का उपयोग किया जा सकेगा।

(धारा 41) 15. विवाद या कठिनाई की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय–(1) यदि इस नियमावली में किन्हीं उपबन्धों का निर्वचन करने के सम्बन्ध में कोई विवाद या कठिनाई उत्पन्न हो तो उसे राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जायगा, जिसका उसके सम्बन्ध में विनिश्चय अन्तिम और निश्चायक होगा।.

(2) ऐसे विषय जो इस नियमावली के अंतर्गत न आते हों, ऐसे आदेशों द्वारा नियंत्रित होंगे जिन्हें राज्य सरकार जारी करना उचित समझे।

भाग–छः
पेंशन निधि की स्थापना और भुगतान की प्रक्रिया

(धारा 20) 16. पेंशन निधि– वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, लखनऊ के नियंत्रण में एक सामान्य पेंशन निधि स्थापित की जायेगी जो "उत्तर प्रदेश विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा पेंशन निधि" के नाम से जानी जायेगी जिसे आगे "निधि" कहा गया है। नियम 11 के अधीन प्राधिकरण द्वारा पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि इस निधि में जमा की जायगी।

(धारा 42) 17. रोकड़ बही रखना–निधि में जमा किया जाने वाला समस्त धन और उससे किए जाने वाले समस्त भुगतान की प्रविष्टि रोकड़ बही में की जायेंगी। वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा रोकड़–बही प्रपत्र "ज" में रखी जायगी।

(धारा 20) 18. पेंशन निधि का बैंक में रखा जाना–निधि का लेखा राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जायगा।

(धारा 20, 42) 19. पेंशन अंशदान के सम्बन्ध में प्रकिया–प्राधिकरण के उपाध्यक्ष द्वारा पेंशन सम्बन्धी अंशदान की धनराशि प्रति मास के छठे दिनांक के पूर्व बैंक में जमा की जायेगी। प्रपत्र "ट" में चालान तैयार किया जायगा। चालान के साथ एक सूची होगी जिसमें सेवा के सदस्य का नाम, पदनाम, वेतन और अंशदान की धनराशि का पूर्ण विवरण दिया जायगा। यह चालान चार प्रतियों में तैयार किए जायेंगे। चालान की प्रथम एवं द्वितीय प्रतियां बैंक द्वारा जमाकर्ता को वापस की

जायगी और चालान की तृतीय और चतुर्थ प्रतियां सूची के साथ क्रमशः जमाकर्ता और बैंक द्वारा प्रति मास के दसवें दिनांक तक वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजी जाएंगी। वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय का लेखाधिकारी चालान की इन प्रतियों का मिलान करेगा और रोकड़ बही में अंशदान की धनराशि की प्रविष्टि करेगा। चालान की प्रतियां लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाइल में सुरक्षित रखी जायेगी।

(धारा 42) 20. लेखा–बही का रखा जाना–सम्बद्ध सेवा के सदस्य का खाता लेखा प्रपत्र "ठ" में भी रखा जायगा। खाता–बही में प्रतिमास सेवा के सदस्य को भुगतान किए गए वेतन की धनराशि और जमा किए गए अंशदान की धनराशि प्रविष्टि की जायगी। खाता–बही में प्रविष्टियां चालान की प्रतियों से की जायगी और प्रत्येक मास के अंत में खाताबही में प्रविष्ट किए गये अंशदान की धनराशि का मिलान रोकड़ बही में प्रविष्ट की गई तत्समान धनराशि से किया जायगा। खाता–बही का पुनर्विलोकन यह अभिनिश्चित करने के लिए किया जायगा कि समस्त सेवा के सदस्यों से सम्बन्धित पेंशन सम्बन्धी अंशदान जमा कर दिया गया है या नहीं। यदि किसी मामले में उसे जमा नहीं किया गया है तो उसे तुरन्त जमा कराया जायगा।

(धारा 42) 21. पेंशन भुगतान आदेश–इस नियमावली के नियम 13 के अधीन पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान की धनराशि स्वीकृत कर दिये जाने के पश्चात् प्रत्येक मामले में स्वीकृत की गई पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान के भुगतान के लिए उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण द्वारा इस नियमावली से संलग्न प्रपत्र "ड" में "पेंशन भुगतान आदेश" जारी किया जायगा। इस आदेश की प्रतियां पेंशन भोगी, वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण, बैंक और निदेशक स्थानीय निधि लेखा उत्तर प्रदेश को पृष्ठांकित की जायगी :

परन्तु यह कि उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण यदि उनका यह. समाधान हो जाय कि किसी विशिष्ट मामले में पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान स्वीकृत किये जाने में पर्याप्त विलम्ब की सम्भावना है, सम्बद्ध सेवा के सदस्य द्वारा प्रपत्र "ढ" में की गई घोषणा के आधार पर अन्तरिम पेंशन/पारिवारिक पेंशन/उपदान स्वीकृत कर सकता है, किन्तु यह धनराशि निर्धारित पेंशन और उपदान की धनराशि के 75 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इस प्रकार अन्तरिम पारिवारिक पेंशन और उपदान स्वीकृत करने से पूर्व मृत अधिकारी के विधिक उत्तराधिकारी से प्रपत्र "ण" में घोषणा कराई जायेगी।

(धारा 42) 22. पेंशन के प्रथम भुगतान के अभिलेख–पेंशन के प्रथम भुगतान के समय बैंक का अभिकर्ता (एजेन्ट) पेंशन भुगतान

आदेश पर मुद्रित ब्यौरे के अनुसार उस पेंशनभोगी का विवरण और पता आदि लिखेगा और पेंशन भुगतान आदेश पर दिये गये निर्देश के अनुसार पेंशन का मासिक भुगतान अभिलिखित किया जायेगा।

(धारा 42) 23. (1)पेंशन के मासिक भुगतान के सम्बन्ध में प्रकिया–पेंशनभोगी प्रति मास प्रपत्र "त" में दो प्रतियों में अपना बिल बैंक को प्रस्तुत करेगा। बिल की संवीक्षा करने के पश्चात् बैंक द्वारा पेंशनभागी को भुगतान किया जायेगा और बिल पर ही भुगतान की रसीद ली जायेगी। भुगतान करने के पश्चात् बैंक बिल की एक प्रति वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को भेजेगा।

(2) परिशिष्ट–दो में दी हुई राज्य सरकार की योजना के प्राविधान इस नियमावली के अधीन पेंशन भुगतान पर यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

(धारा 42) 24. वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में भुगतान के अभिलेख– वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में भुगतान किये गये बिल की प्रतियां प्राप्त होने पर लेखा अधिकारी रोकड़ बही में इन भुगतानों की प्रविष्टि करेगा और इन बिलों को लेखा–परीक्षा के प्रयोजनार्थ गार्ड फाइल में सुरक्षित रखा जायेगा।

(धारा 42) 25. लेखा –परीक्षा जांच रजिस्टर–पेंशनभोगियों को पेंशन का समय पर और ठीक–ठीक भुगतान सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में प्रपत्र "थ" में एक लेखा–परीक्षा जांच रजिस्टर रखा जायेगा। इस रजिस्टर में प्रत्येक पेंशनभोगी का एक पृथक खाता खोला जायेगा भुगतान किये गये बिल प्राप्त होने पर, सम्बद्ध पेंशनभोगी के बही–खाता में भुगतान की प्रविष्टि की जायेगी।

(धारा 42) 26. उपदान भुगतान आदेश–उपदान स्वीकृत किये जाने के पश्चात् बैंक को प्रपत्र "द" में उपदान भुगतान आदेश (उ0 भु0 आ0) जारी किया जायेगा। उसकी एक प्रति सम्बद्ध व्यक्ति को भी पृष्ठांकित की जायेगी। बैंक आवश्यक संवीक्षा करने के पश्चात् सम्बद्ध व्यक्ति को उसका भुगतान करेगा और भुगतान करने के पश्चात् उसे वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को वापस भेज दिया जायेगा।

(धारा 42) 27. उपदान व पेंशन के भुगतान का विवरण–पत्र–बैंक प्रति माह पांचवें दिनांक तक वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को प्रपत्र "घ" में एक विवरण–पत्र भेजेगा जिसमें पिछले मास में भुगतान की गई पेंशन और उपदान की धनराशि दिखायी जायेगी। वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के कार्यालय में इस विवरण–पत्र का मिलान रोकड़–बही और जांच रजिस्टर में की गयी प्रविष्टियों से किया जायेगा।

(धारा 42) 28. प्राप्ति और भुगतान का मासिक विवरण–पत्र– ऊपर नियम 27 में निर्दिष्ट विवरण–पत्र के अतिरिक्त बैंक प्रतिमास के छठें दिनांक तक वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण को मासिक विवरण–पत्र भी भेजेगा जिसमें पिछले मास में की गयी जमा और भुगतान की धनराशि दिखायी जायेगी। वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण कार्यालय में उसका मिलान रोकड़–बही से किया जायेगा।

(धारा 42) 29. रोकड़–बही–रोकड़–बही में लेखे प्रतिदिन बन्द और संतुलित किये जायेंगे और उस पर वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे। प्रत्येक मास के अन्त में रोकड़–बही में प्रविष्ट की गयी आय और भुगतान का मिलान बैंक द्वारा प्रस्तुत मासिक विवरण पत्र में दिखाये गये तत्समान जमा और भुगतान से किया जायेगा। यदि दोनों के बीच कोई अन्तर हो तो मास के अन्त में स्पष्टीकरण प्रविष्ट किया जायेगा। मास के अन्त में रोकड़–बही को बन्द करने के पश्चात् उसे वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के समक्ष उसके पुनर्विलोकन के लिये रखा जायेगा।

(धारा 20) 30. पेंशन–निधि का विनियोजन–पेंशन निधि की धनराशि सरकारी प्रतिभूति में या किसी अनुसूचित बैंक/डाक घर की दीर्घावधि जमा/सावधिक जमा और अन्य बचत लेखे में, जिसे वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण उचित समझें, विनियोजित की जायेगी, किन्तु चालू खाते में अतिशेष सदैव उतना रखा जायेगा जितना कि सेवा के सदस्य को दिये जाने वाले उपदान और मासिक पेंशन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त हो। विनियोजन की प्रविष्टि एक विनियोजन रजिस्टर में की जायेगी जो प्रपत्र "म" में रखा जाये गा।

(धारा 22) 31 लेखा परीक्षा–पेंशन निधि की प्रति वर्ष निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उत्तर प्रदेश द्वारा लेखा परीक्षा की जायेगी और उससे प्राप्त लेखा परीक्षा प्रतिवेदन और आपत्तियों का वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा निराकरण किया जायेगा।

(धारा 42, 51) 32. अतिरिक्त प्रपत्र–वित्त नियंत्रक, लखनऊ विकास प्राधिकरण के लेखे को कमबद्ध रीति से रखने के लिये इस नियमावली से संलग्न प्रपत्रों के अतिरिक्त कोई अन्य प्रपत्र विहित कर सकता है।